विक्रय पत्र (कृषि भूमि)

	सम्पत्ति का बाज	गर मूल्य = रू						
चुकाये गये स्टाम्प	। शुल्क का विवरण—	स्टाम्प शु	ल्क	= स्त	5			
		अतिरिक्त	स्टाम्प शुल्क	= स्त	<u>.</u>)			
			गम / नगरपालिका ः					
		स्टाम्प शु	ल्क	= रू				
		(जनपद	पंचायत)					
		उपकर		= स्त	<u>.</u>			
		योग		= रू				
विक्रेता—श्री / श्रीम	ती / सुश्री	पुत्र /	पत्नी / पुत्री					
	उम्र							
7	जाति	राष्ट्रीयता						
		या						
	(जहां दस्ता	वेज मुख्तार द्वा	रा निष्पादित हो)					
विक्रेता—श्री / श्रीम	ती / सुश्री	पुत्र <i>/</i>	पत्नी / पुत्री					
	3玥	_	_					
7	जाति	राष्ट्रीयता		मुख्तार				
	प्री / श्रीमती / सुश्री							
	3 _玥							
	जाति							
		या						
(जहां विक्रेता अवयस्क हो)								
विक्रेता—श्री / श्रीम	ती / सुश्री	पुत्र /	पत्नी / पुत्री					
	उम्र							
7	जाति	राष्ट्रीयता		द्वारा	मुख्तार			
	थ्री / श्रीमती / सुश्री							
	उम्र							
7	जाति	राष्ट्रीयता	भारत	नीय द्वारा अपने	ो			
	संरक्षक पिता/माता/							
	तक श्री / श्रीमती / सुश्री							
	зя							
7	जाति	राष्ट्रीयता						
				<u> </u>	क्रमशः2			

//2//

विक्रेता-श्री /श्री	।मती / सुश्री	पुत्र/प	ात्नी / पुत्री					
	_	_						
	जाति	राष्ट्रीयता		द्वारा	मुख्तार			
			पुत्र / पत्नी / पुत्री		J			
	जाति		राष्ट्रीयता	I				
			रकम रूपये					
	द्वारा क्रेता से निम्नानुसार प्राप्त की गई है, अब कुछ भी पाना बाकी नहीं							
	है –	`	· , 3					
		या						
	(जहां सम्पूर्ण प्रतिफल रजिस्ट्री से पूर्व नहीं चुकाया गया हो)							
	प्रतिफल की रकम- प्रतिफल की सम्पूर्ण रकम रूपये में से आंशिक							
			को निम्नानुसार भुगत					
			भुगतान क्रेता द्वारा वि					
	किया जायेगा :-		3 Kill Mettle Gitt 1		"3,",			
	सम्पत्ति का विवरण	:- विक्रीत कषि भी	मे ग्राम	पटवारी हल	का नं			
		राजस्व निरीक्ष	क मंडल	तहसील				
			स्थित होकर, इससे					
	एवं ऋण पुस्तिका भ		है। भूमि का विस्त्					
	निम्नानुसार है :-							
	आराजी खसरा क्र	कुल रकबा	विक्रीत रकबा	लगान	न			
	चर्तुसीमा :	उत्तर						
	13 11 11							
		_						
		रू पश्चिम						
	उस्त भूमि वि			र्भित्रथ नहीं है	/			
	उक्त भूमि सिंचित / असिंचित / पड़त है, जिस पर कोई वृक्ष नहीं है / वृक्ष स्थित हैं, जो कि भूमि के साथ ही विक्रय किए जा रहे हैं। कोई							
	भवन/मकान/कमरा आदि निर्मित नहीं है। भूमि सड़क से लगी है/मीटर							
	दूरी पर स्थित है। आस-पास आवासीय प्रयोजन हेतु कोइ विकास कार्य नहीं हो							
	रहा है / हो रहा है। भूमि नगरपालिका / नगर निगम / नगरपंचायत							
	की सीमा में स्थित हैं / नहीं है / सीमा मेंदूर स्थित है।							
	उक्त संपत्ति का मैं विक्रेता एकमात्र मालिक एवं स्वामी हूँ। संपत्ति मेरी							
	क्रय शुदा मिल्कियत है जो मेरे द्वारा दिनांक को पंजीबद्ध विलेख क्र							
		दिनांक	द्वारा श्री / श्र	गेमृति				
	से क्रय की गई थी/वसीयत से प्राप्त हुई थी/वारिस के रूप में प्राप्त हुई थी, जिसका हक मेरे नाम पर अंकित है, तथा में ही मालिक एवं काबिज							
	चला आ रहा हूं अन्य	ग किसी का कोई भी	गे हम या वास्ता या र	सरोकार आदि ।	नहीं हैं।			

अंतरित की जा रही संपत्ति कहीं भी रहन, बेची, अधिग्रहण या जमानत आदि में नहीं है। हर तरह से पाक व साफ है।

भूमि की विक्री से मध्यप्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 या म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 का उल्लंघन नहीं होता है। विक्रय की जा रही भूमि किसी भी देवस्थान, भूदान या शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है।

उक्त संपित्त को मुझ विक्रेता द्वारा अपने निजी आवश्यकता से क्रेता को सदैव के लिए पूर्ण रूप से विक्रय किया गया है। अब इस पर मैंने अपना स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य हमेशा के लिए समाप्त कर लिया है तथा वे सभी सुखाधिकार जो आज दिनांक तक मुझे प्राप्त थे अब भविष्य में उक्त क्रेता को प्राप्त होंगे तथा वह संपित्त का जैसे चाहे वैसा उपयोग, उपभोग हस्तांतरण, परिवर्तन करने हेतुपूर्ण रूप से अधिकृत होगा। भविष्य में मैं या मेरे वारिस, उत्तराधिकारी, समनुदेशी या प्रतिनिधि किसी भी प्रकार का दावा दखल या झगड़ा करें तो वह शून्यवत माना जावेगा।

उक्त भूमि या इसका कोई अंश यदि आज दिनांक से पूर्व में स्वत्व, स्वामित्व या आधिपत्य की त्रुटि के कारण या किसी भी दावेदारी के कारण क्रेता के कब्जे से निकल जाये तो उसकी तमामतर जिम्मेदारी मुझ विक्रेता की होगी तथा क्रेता को अधिकार होगा कि वह मेरी अन्य चल अचल सम्पत्ति से हर्जाने की राशि प्राप्त कर लेवें।

आज दिनांकको स्वेच्छा से बिना किसी भय, दबाव एवं लालच के यह विक्रय पत्र लिखकर पंजीयन करा दिया ताकि वक्त जरूरत काम आये।

हस्ताक्षर गवाहान -

हस्ताक्षर विक्रेता

1.

2.

हस्ताक्षर केता